राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–11) विभाग

क्रमांकः प. 4 (2) सीवीसी / 2004 जयपुर दिनांकः 23-2-08

परिपत्र

राजकीय विभागो/सरकारी उपकरणों में भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में विभागो में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा नियुक्ति की जाती है । मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर अथवा उसके सेवा निवृत हो जाने पर इसकी सूचना मुख्य सतर्कता आयुक्त को नहीं दी जा रही है जिससे लम्बी अवधि तक मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद रिक्त रह जाते है ।

अतः समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव गण एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त अधिकारी का भविष्य में जब भी स्थानान्तरण हो अथवा उनकी सेवा निवृति हो तो ऐसी सूचना मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी दी जावे साथ ही मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए विभाग में पदस्थापित किसी योग्य पदाधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुये मुख्य सतर्कता आयुक्त को अवगत कराया जावे ।

22.2.08

(डी.सी.सामन्त)
मुख्य सचिव, राज. जयपुर ।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान,जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष राज. जयपुर ।

उप-शासन सचिव, गृह (अपील)